तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – 42/20 शीशराम सैनी बनाम रूडाराम वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.08.2021	पत्रावली प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.08.2020 के आदेश हेतु पेश हुई। बहस दिनांकित 24.08.2021 के अनुसार प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी 1 लगायत 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बयान मजीद के पैरा संख्या 16 में कथन किया कि यह जमीन जैर बहस पर आवेदक का भौतिक कब्जा काश्त नहीं है। उक्त तथ्य पूर्णतया निराधार व अनुचित है। इसलिय वादग्रस्त भूमि के वर्तमान मौके की स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना न्यायहित में उचित आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया है। बहस के समर्थन में दस्तावेज सूची के संलग्न 1 लगायत 6 पेश किये, जिसके तर्क में वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण के अभिवचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी शीशराम मौका कमिश्नर नियुक्त करवाना चाहता है। लेकिन प्रार्थी शीशराम अपने वाद पत्र व व प्रार्थना पत्र के पक्ष में साक्ष्य संकलित पेश करने के दायित्व से बचने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष संकलित करवाना चाहता है जो कि किसी भी रूप में उचित व न्यायोचित नहीं है क्योंकि साक्ष्य संकलन करने का दायित्व माननीय न्यायालय का नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त होने योग्य है। और साथ में यह भी कथन किया कि स्वीकृत रूप प्रस्तुत प्रकरण में अंकित भूमि की खातेदारी जबाव देहन्दा रूडाराम के नाम दर्ज अंकित है। उक्तानुसार उक्त भूमि पर उत्तरदाता का कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार इस प्रकरण में जरिय वकील प्रार्थी केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाहता है जबकि उतरदाता गण द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बावजूद करीबन 9 माह से अधिक समय की देरी के बाद मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के उदेश्य से पेश किया गया है इस लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मोका कमिश्नर व अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया गया है। बहस के समर्थन में राजस्थान हाई कोर्ट बैंच जयपुर RLW 1997(2)Raj पेश की गई। हमने प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर में व जबाव प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर अप्रार्थी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण में वर्णित तथ्यों व प्रस्तुत नजीरें प्रार्थी/अप्रार्थीगण व पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर न्यायालय राय में पोषणीय नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी कारण प्रार्थी द्वारा अंकित नहीं किया गया है जिसमें न्यायालय को निर्णय मे सहायक हो। प्रकरण बहस में नियत होने पर पेश किया गया हो जो केवल मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना जाहिर करता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर इसी स्तर पर पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है। दुसरा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जो पूर्व से ही बहस में नियत था, आदेश में लिया जाकर अवलोकन किया। इस प्रकरण में दिनांक 27.08.2020 को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। विधिक प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बाबत एक माह में समुचित निर्णय किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि रूडाराम के नाम दर्ज है, जो कि पैतृक भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 रूडाराम की संतान होना जाहिर है जिसमें प्रार्थी का नोशनल हिस्सा 1/3 होना जाहिर है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ओदश दिनांक 27.08.2020 में आंशिक रूप से संशोधित करने हेतु संपूर्ण विवादित भूमि में प्रार्थी के 1/3 हिस्से तक अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 को तादावा फैसला तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह किसी व्यक्ति, संस्था को अन्तरित नहीं करे । पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों एव बाद तकमिल मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। 25.08.2021 उप खण्ड अधिकारी जयपुर (राज.)	